न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 43/2021 तारीख रजू:–03.09.2021

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

बाबूसिंह व अन्य बनाम करणसिंह व अन्य

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन ऑर्डर 13 नियम 9 सीपीसी

उपस्थितः– 1. श्री पी0 एल0 गोयल एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक :– 4/9/25

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन ऑर्डर 13 नियम 9 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) हिण्डौन सिटी द्वारा उनवानी प्रकरण बाबूसिंह वगै0 बनाम करणसिंह वगै0 मुकदमा नम्बर 19/2003 के फैसले मय डिक्री के निष्पादन के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रकरण डिक्री निष्पादन प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 4/2006 का निस्तारण मुताबिक डिक्री किया जाना था लेकिन श्रीमान तहसीलदार तहसील हिण्डौन ने डिक्री दिनांक 22.03.2003 की डिक्री के अनुसार पालना करवाई गई थी, और शुद्ध डिक्री दिनांक 05.04.2003 के अनुसार पालना होनी चाहिए थी लेकिन तहसीलदार तहसील हिण्डौन ने दिनांक 22.03.2003 की अधूरी डिक्री के अनुसार पालना की है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र (डिक्री निष्पादन) मुकदमा नम्बर 4/2006 की पत्रावली को तलब फरमाया जाकर शुद्ध डिक्री दिनांक 05.04.2003 की पालना कराई जावें। उक्त डिक्री प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर पेश की है फिर भी माननीय तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी के द्वारा पालना नहीं की गई है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि उपरोक्त पत्रावली रिकार्ड रूम करौली में जमा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि उपरोक्त पत्रावली की प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में शुद्ध डिक्री दिनांक 05.04.2003 के अनुसार पालना कराई जावें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रिकार्ड रुम जिला करौली से उपरोक्त पत्रावली को तलब फरमाया जाकर दिनांक 05.04.2003 की डिक्री मुताबिक पालना करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर मूल पत्रावली जिला रिकार्ड रूम करौली से तलब की गई।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। मुताविक इजराय मूल पत्रावली संख्या 04/2006 उनवानी करन बनाम बाबूसिंह वगैराह न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 08/2003 उनवानी करणसिंह व अन्य बनाम बाबूसिंह व अन्य दावा बाबत् हुक्मईम्तनाई दवामी में पारित डिक्री दिनांक 19.05.2003 की पालना कराने हेतु पेश की गई थी। उक्त डिक्री दिनांक 19.05.2003 की पालना होने पर दिनांक 01.06.2016 को उक्त इजराय संख्या 04/2006 को फैंसल किया गया था।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) हिण्डौन सिटी द्वारा उनवानी प्रकरण बाबूसिंह वगै0 बनाम करणसिंह वगै0 मुकदमा नम्बर 19/2003 के फैसले मय डिक्री के निष्पादन के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जबकि प्रार्थीगण के द्वारा इजराय पत्रावली संख्या 04/2006 उनवानी करन बनाम बाबूसिंह वगैराह न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 08/2003 उनवानी करणसिंह व अन्य बनाम बाबूसिंह व अन्य दावा बाबत् हुक्मईम्तनाई दवामी में पारित डिक्री दिनांक 19.05.2003 की पालना कराने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पेश की गई थी। उक्त डिक्री दिनांक 19.05.2003 की पालना होने पर दिनांक 01.06.2016 को उक्त इजराय संख्या 04/2006 को फैंसल किया गया था। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त पत्रावली में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख) हिण्डौन सिटी द्वारा उनवानी प्रकरण बाबूसिंह वगै0 बनाम करणसिंह वगै0 मुकदमा नम्बर 19/2003 के फैसले मय डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन पेश नहीं किया गया था। और ना ही शुद्ध डिक्री दिनांक 05.04.2003 की कोई प्रति पेश की गई थी। उक्त इजराय मात्र उपजिला कलक्टर हिण्डौन के निर्णय की पालना के संदर्भ में थी। सिविल कोर्ट के किसी निर्णय की प्रति इजराय पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और ना ही प्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय/डिक्री/ संशोधित डिक्री की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन ऑर्डर 13 नियम 9 सीपीसी में दर्ज तथ्य दस्तावेजों के अभाव में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उनवानी बाबूसिंह व अन्य बनाम करणसिंह व अन्य बाबत् रेस्टोरेशन ऑर्डर 13 नियम 9 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/9/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 4/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली